(19)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : महेश चन्द्र चौधरी,

सदस्य

दो/अपील/सतना/स्टा.अ./2017/4676 विरुद्ध आदेश दिनांक 25-10-2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण क्रमांक 1416/अपील/2015-16

अनिल प्रदीप अब्बी तनय स्व. श्री हरिकिशन अब्बी
निवासी – एम-229 भरहुत नगर सतना जिला सतना म.प्र. .....**अपीलार्थी**

विरुद्ध

1. शासन म.प्र. द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
   जिला सतना
2. अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा .....**प्रत्यर्थीगण**

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी
प्रत्यर्थी शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा

आदेश

(आज दिनांक 29.06.2019 को पारित)

यह अपील भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे आगे स्टाम्प एक्ट कहा जाएगा) की धारा 47(क)5 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 25-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि षष्टम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 के प्रकरण क्रमांक 69ए15 के द्वारा विक्रयपत्र इकरारनामा दिनांक 30-9-2000 एवं अनुबंध पत्र दिनांक 6-8-2001 के संबंध में बाद प्रस्तुत किया उक्त दोनो दस्तावेज स्टांपित न होने से अपीलार्थी के द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्टांपित किये

जाने का आवेदन पत्र दिया जो स्वीकार किया गया। जिस पस प्रकरण क्रमांक 93बी103/15-16 द्वारा पंजीयक ने प्रकरण को इम्पाउण्ड करते हुए अनुबंध पत्र दिनांक 30-09-2000 पर 11,72,363=00 रू मुद्रांक शुल्क एवं 1,10,500=00रू. का अर्थदण्ड कुल रूपये 12,82,863 राशि अधिरोपित किया। दिनांक 6-8-2001 पर रूपये 540898 एवं अर्थदण्ड रूपये 51000=00 कुल रूपये 5,91,898=00 अधिरोपित किया है। जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 25-10-2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि दस्तावेज दिनांक 30.09.2000 एवं 06.08.2001 विक्रय पत्र नहीं है जिसमें स्टाम्प की कमी है। बल्कि उक्त दस्तावेज धारा 33 स्टाम्प एक्ट के अनुसार, धारा 35 स्टाम्प एक्ट के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करने के लिए जिला पंजीयक को भेजे गये थे, ताकि दस्तावेज साक्ष्य में ग्राह्य किये जा सके और रेस्पा.क्रं.-1 जिला पंजीयक नें इम्पाउण्ड के लिए भेजे गये दस्तावेज को धारा 38(2) स्टाम्प एक्ट के तहत मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड आरोपित किया है जो विधि विरूद्ध है।

उनके द्वारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2000-2001 की गाइड लाइन के अनुसार दस्तावेज 30.09.2000 में लेख आ.नं.-414/2 रकबा 3.00ए. का ग्राम शुक्ला का बाजार मूल्य 0.90 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर है जिसके अनुसार 3.00ए. रकबा हेक्टेयर में 1.200हे. होता है और 2000-2001की गाइड लाइन के अनुसार मुद्रांक शुल्क 1.20 लाख रूपये होता है।

उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वर्ष 2001-2002 की गाइड लाइन के अनुसार दस्तावेज 06.08.2001 में लेख आ.नं.-414/2 रकबा 1.07ए. का ग्राम शुक्ला का बाजार मूल्य 3.40 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर है जिसके अनुसार 1.07ए. रकबा हेक्टेयर में 0.433हे. होता है और 2001-2002 की गाइड लाइन के अनुसार मुद्रांक शुल्क 1.12 लाख रूपये होता है। और उक्त दोनों दस्तावेजो पर मुद्रांक शुल्क अनुसार 1 से 10 प्रतिशत के बीच की कोई राशि अर्थदण्ड आरोपित की जा सकती है, जो प्रत्यर्थीगण द्वारा अधिरोपित नहीं की गई है व विधि विरूद्ध है ।

4. अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया तथा आलोच्य आदेश का परिशीलन किया गया। अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुबंध पत्र दिनांक 30.09.2000 एवं दिनांक 06.08.2001 में कब्जा प्राप्त होने का उल्लेख है तथा यह भी उल्लेख है कि अनुबंध दिनांक से ही कब्जा प्राप्त किया जा चुका है। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि चूंकि दस्तावेज में स्पष्ट रूप से कब्जा दिए जाने का उल्लेख है ऐसी स्थिति में पंजीयक द्वारा दस्तावेज दिनांक 30.09.2000 एवं दिनांक 06.08.2001 की बाजार कीमत प्रचलित दर से मुद्रांक शुल्क निर्धारित किया गया है, जो उचित है। प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित, वैधानिक एवं औचित्यपूर्ण होकर स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील अस्वीकार की जाती है। तथा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 स्थिर रखा जाता है।

(महेश चन्द्र चौधरी)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर